

श्री. अतिल सिन्हा
न्यायालय, धनबाद ।

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी का
(80) (35)

प्रमाण-पत्रवाट सं 02/2000-2001
मैनेजर SBI सिन्धु बैंक शाखा ने
श्री. पार्वती मंगेशकर
ग्राम- बिस्वीगुड़ा पिन- 472222
जिला- सुपौल से रुपये 3399-00 की वसूली हेतु अध्यायन

पत्र टायर किया है। इसमें संलग्न विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह माँग वसूली योग्य है। इसकी वसूली विधि वर्जित नहीं है। लोक माँग वसूली अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत में संतुष्ट हैं। इसे पंजी-10 में दर्ज करें। अध्यायी पदाधिकारी ने कौंट फीस..... 472/-..... रुपये का दाखिल किया है, जिसका विवरणी कौंट फीस

धारा-7 के अंतर्गत प्रमाण पत्र टेनदार के विरुद्ध मुच्यना जारी करें। अभिलेख टिनांक 19/11/07 को प्रस्तुत करें।

472/-

(Signature)
प्रमाण-पत्र पदाधिकारी,
धनबाद।

1-06-06

अभिलेख उपर्युक्त
धारा-7 के अधिनियम प्रमाण है।
इसके का अर्थ है। अर्थात्
इसके का अर्थ है। अर्थात्
इसके का अर्थ है। अर्थात्

29.11.07

अभिलेख उपर्युक्त
धारा-7 का अधिनियम प्रमाण है।
इसके का अर्थ है। अर्थात्
इसके का अर्थ है। अर्थात्
इसके का अर्थ है। अर्थात्

(Signature)
अध्यायी

26.7.10 अभिलेख उपस्थापित
देनदार अनुपस्थित है, देनदार

द्वारा अधिष्ठापित शाखा जमा नहीं
किया गया है और कोई पैकी नहीं
है,
देनदार के विरुद्ध 20.8.10 को
अभिलेख दि. 20.8.10 को
करे,
शुद्धे,

दा/प
प/प
को

26/7/10
अ. अ. अ.

अभिलेख उपस्थापित।

देनदार अनुपस्थित है/ देनदार द्वारा अधिष्ठापित शाखा
जमा नहीं किया गया है कोई पैकी भी नहीं है। पूर्व में
देनदार को दा/प निर्दिष्ट बताया गया लेकिन दा/प
विभाजन पर देनदार को दा/प निर्दिष्ट कर अधिलेख
दि. 20.8.10 को शेष।

3-9-19 अभिलेख उपस्थापित देनदार द्वारा शाखा
जमा नहीं किया गया है। अधिष्ठापकी
शाखा जमा करने हेतु चंदावती नोटिस
निर्गत करे। अभिलेख दि. 3-9-19 को
शेष।

3/9/19
प्रमाण पत्र पदा. 0
बलिमापुर।

15/12/2020

अभिलेख प्रस्तावित। वेतन के हारा में के
मास्कर के अभिलेखित करि मग कर में के हारा
अभिलेखित प्रस्ताव पर प्रस्तुत विषय मग है। अभिलेख
के वेतन के हारा के मग है।

✓
अभिलेखित
मास्कर